राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनू

अभिलाषा, आर.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी

राजस्व वाद सं. 31/2021
जीसीएमएस नम्बर 2021/38

वीरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र शिवओंकार उर्फ शिवकुमार जाति ब्राहमण निवासी साबु स्कूल के पास वार्ड नम्बर 11 पिलानी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू।

.........वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ।
2. मुन्नी पत्नी शिवओंकार उर्फ शिवकुमार जाति ब्राहमण
3. अन्जू पुत्री शिवओंकार उर्फ शिवकुमार जाति ब्राहमण निवासी साबु स्कूल के
4. बिना देवी पास वार्ड नम्बर 11 पिलानी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू।
5. बाबूलाल शर्मा पुत्र शिवओंकार उर्फ शिवकुमार जाति ब्राहमण निवासी साबु स्कूल के पास वार्ड नम्बर 11 पिलानी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू।

.........प्रतिवादीगण

दावा बाबत –घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

1. वादी की ओर से – श्री सुरेन्द्र सिंह तंवर एडवोकेट उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 2 से 5 की ओर से – संजू तंवर एडवोकेट उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 13/7/21

(1) वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) वाके ग्राम दुदवा स्थित भूमि खसरा नम्बर 465/107 रकबा 2.58 है. में वर्तमान राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर उक्त [illegible] वादी के पिता का नाम जो गलत तरीके से शिवओंकार की बजाय शिवकुमार [illegible] है उसे हजफ किया जावे तथा वादी के पिता का नाम सही नाम [illegible] जावे। वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:34:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या— 31/2021
रविन्द्र कुमार शर्मा बनाम राज.सरकार आदि
निर्णय दिनांक— 13/7/21

प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत को उक्त कृषि राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने वादी के पिता का नाम शिवऔंकार का नाम [illegible] दर्ज कर दिया।

(2) दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से इकबालिये जवाब दावा पेश किया गया।

(3). वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी जमाबंदी सं. 2074–757, नक्शा ट्रेस पेश किए गए।

(4). बहस सुनी गई।

(5). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश ::—

न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके **ग्राम दुदवा** तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनूं राज. स्थित भूमि खाता 260 के हाल खसरा नम्बर 465/107 रकबा 2.58 है. में वादी के पिता का नाम शिवकुमार के स्थान पर शिवऔंकार दुरूस्त किये जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

निर्णय आज दिनांक 13/7/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:34:59 IST
Reason: SelfAttested

19/7/21
नोट – खाता [illegible] दर्ज शिवकुमार पुत्र शिशपाल के स[illegible] शिवऔंकार पुत्र शीशपाल पढा जाकर तथा दुरूस्त किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सूरजगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः– अभिलाषा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संः– 31 / 2021
निर्णय दिनांकः– 13/7/21

रविन्द्र कुमार शर्मा **बनाम** राज. सरकार आदि
दावा बाबत– <u>धोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती</u>

वादी की ओर से **श्री सुरेन्द्र सिंह एडवोकेट** की उपस्थिती मे व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से संजू तवर एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13/7/21 को **श्री अभिलाषा उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ** के समक्ष अंतिम निपटार के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम दुदवा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनूं राज. स्थित भूमि खाता 260 के हाल खसरा नम्बर 465 / 107 रकबा 2.58 है. में वादी के पिता का नाम शिवकुमार के स्थान पर शिवऔकार दुरूस्त किये जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 को खातेदार धोषित किया जाता है। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेग।

यह आज तारीख 13/7/21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

19/7/21

नोट – खाता नं. 260 के खसरा नं. 465/107 में दर्ज शिवकुमार पुत्र शिशपाल के [illegible] पर शिवऔंकार पुत्र शीशपाल पढा [illegible] है)

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:34:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ